

राजस्थान – सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/असाधारण अवकाश/पीजी-2023 (प्रोबेशनकाल)/2023/02 दिनांक : 03/01/2024

–: आदेश :-

निम्न लिखित सेवारत प्रोबेशनर चिकित्सकों का उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का असाधारण अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है :-

एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर

क. सं.	चिकित्सक का नाम	जन्म तिथि	राज्य सेवा में प्रथम कार्यग्रहण तिथि	जिस विषय में पीजी/डीएनबी कर रहे का नाम	असाधारण अवकाश की अवधि
1	डॉ० कृष्ण कुमार मीना	10.04.1997	08.03.2023	निश्चेतन	26.10.23 से 25.10.26

राजकीय मेडिकल कॉलेज कोटा

क. सं.	चिकित्सक का नाम	जन्म तिथि	राज्य सेवा में प्रथम कार्यग्रहण तिथि	जिस विषय में पीजी/डीएनबी कर रहे का नाम	असाधारण अवकाश की अवधि
1	डॉ० नीरज कुमार	20.09.1997	08.03.2023	चर्म एवं रति रोग	01.11.23 से 31.10.26

उक्त आदेश राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 05.07.2022 के अनुसरण में जारी किये गए हैं।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : राजपत्रित/असाधारण अवकाश/पीजी-2023 (प्रोबेशनकाल)/2023/02 दिनांक : 03/01/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
4. कार्यालय अधीक्षक एटीसी/डीपीसी सैल, राजपत्रित मुख्यालय।
5. प्रभारी सर्वर रूम को भेज कर लेख है कि आज ही विभाग की वैबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
6. सम्बन्धित डिलिंग सहायक को चिकित्सा अधिकारी की पत्रावली हेतु।
7. सम्बन्धित चिकित्सक।
8. रक्षित/निजी पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर

Raj Raj Ref  
5252292

Document certified by RAVI PRAKASH  
MATHUR <rpm272004@yahoo.co.in>

Digitally Signed by RAVI  
PRAKASH MATHUR  
Designation: Director  
Date : 03-01-2024 10:38:10